राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

लिंक रोड न. 03 पत्रकार कालोनी के सामने भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/आरबीएसके/2026/166 **भोपाल दिनांकः 20/01/2026**

//आदेश//

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं संभाग जबलपुर द्वारा श्री सुभाष शुक्ला संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक जिला-जबलपुर के द्वारा बाल श्रवण योजना अंतर्गत भुगतानो में की गई अनियमितता की जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 8541, दिनांक 24.04.2025 एनएचएम कार्यालय में प्रेषित किया गया।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा श्री सुभाष शुक्ला को कार्यालय के पत्र क्रमांक/एनएचएम/आरबीएसके/2025/1666, भोपाल दिनांक 30.05.2025 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये दिव्यांग छोटे बच्चों के कल्याण के लिये योजना में की गई वित्तीय अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में 03 बिन्दुओं का स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री सुभाष शुक्ला के द्वारा सीएमएचओ जबलपुर के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। जिसमें इनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं जांच समिति द्वारा दिये गये तथ्यों में विरोधाभास होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल द्वारा श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय भोपाल द्वारा की गई जांच, के जाचं प्रतिवेदन में जांच समिति ने अभिमत दिया कि महालेखाकार ग्वालियर द्वारा 2019 में दी गई रिर्पोट की आपत्ति को नजर अंदाज कर बिना परीक्षण के श्री सुभाष शुक्ला द्वारा भुगतान हेतु नस्ति अग्रेषित की गई एवं भुगतान की नस्ती में तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण किये बिना 8.96 लाख का भुगतान कराया गया। फलस्वरूप श्री सुभाष शुक्ला को पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने पर 8.96 लाख रूपये के अनियमित भुगतान में दोषी पाया गया।

श्री सुभाष शुक्ला को 8.96 लाख के अनियमित भुगतान में दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 3160 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा उक्त राशि डीडी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में 21 दिवस के भीतर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुक्रम में श्री सुभाष शुक्ला द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 की कंडिका 11.6 (क्र.2) में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत प्रमुख सचिव लोक स्वा. एवं चि. शिक्षा म.प्र. को दिनांक 09.10.2025 को अपील प्रेषित की गई जिसमें महालेखाकार के पत्र के तथ्यों एवं शासन द्वारा जारी आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये पारित वसूली आदेश निरस्त किये जाकर न्यायोचित राहत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वा. एवं चि. शिक्षा म.प्र. को प्रेषित अपील दिनांक 09/10/2025 के निराकरण हेतु संबंधित की प्रमुख सचिव महोदय के समक्ष में दिनांक 10/11/2025 को सुनवाई की गई। सुनवाई उपरांत प्रमुख सचिव महोदय ने सुभाष शुक्ला द्वारा अपनी अपील में उल्लेखित तथ्यों का निराकरण निम्नानुसार किया-

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 1:- प्रकरणगत रू 8,96,000/- की वसूली आदेश पूर्णतः वर्ष 2018-19 की ए.जी. ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है. जिसमें प्रकरणगत ए.व्ही.टी. बिल वर्ष 2015-2016, 2016-17 के हैं एवं भुगतान प्रक्रिया वर्ष 2018-19 की है, जिसकी फाईल तत्कालीन आर.बी.एस.के. को-ऑर्डिनेटर द्वारा बनाई एवं संधारित की गई थी, जबकि उस समय प्रार्थी उक्त पद पर पदस्थ ही नहीं था।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में निःशुल्क करायी जाती है। जिसके अनुसार राशि रूपये 6.50 लाख (साढ़े छः लाख मात्र/-) मॉडल कॉस्टिंग पैकेज एंव प्रोसिजर कोड के अंतर्गत भारत शासन स्वीकृत राशि रूपये 5.20 लाख (पांच लाख बीस हजार) से कॉक्लियर इम्प्लांट शल्य क्रिया एवं शेष राशि रूपये 1.28 लाख (एक लाख अठ्ठाईस हजार) का भुगतान स्पीच थैरेपी पूर्ण होने उपरांत चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बच्चों का फॉलोअप 3-4 सप्ताह बाद संबंधित संस्था द्वारा किया जाता है। इस फॉलोअप में इम्प्लांट केा एक्टिीवेट किया जाता है। इसे न्यूरल रिस्पोंस टेलीमेट्री (एनआरटी) कहा जाता है। स्पीच थैरेपी हेतु प्रथम माह में सप्ताह में दो बार द्वितीय से 6 माह तक माह में एक बार 6 माह के बाद हर दो माह में एक बार किया जाता है। यह फॉलोअप निरंतर 1 वर्ष तक नियमित रूप से संस्था द्वारा किया जाता है। न्यूनतम 10-12 बार फॉलोअप किये जाते है एवं राशि रूपये 2000/- का भुगतान परिवहन व्यय में किया जाता है। जिसमें से 5.20 लाख (पांच लाख बीस हजार) का भुगतान कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी उपरांत व 1.28 (एक लाख अठ्ठाईस हजार) का भुगतान संस्थागत ए.वी.टी. कराये जाने उपरांत होता है एवं ए.वी.टी. संबंधित संस्था में ही करायी जाती है।

उक्त प्रकरण कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी उपरांत भुगतान हेतु तत्कालीन आर.बी.एस.के. समन्वयक के कार्यक्राल में किया गया था। किन्तु दिनांक 02.03.2020 को तत्कालीन आर.बी.एस.के कॉआर्डिनेटर श्रीमती रीता बहरानी के जबलपुर जिले से डिंण्डोरी जिले के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2020/3633 भोपाल,दिनांक 18.02.2020 के परिपालन में रिलीव हो जाने के उपरांत राशि रू. 8.96 लाख (आठ लाख छियानवे हजार) के स्पीच थैरेपी की नोटशीट सुभाष शुक्ला तत्कालीन डी.ई.आई.एम. द्वारा भुगतान हेतु अग्रेषित की गयी| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2019/5676 भोपाल 01.06.2019 के द्वारा जिला समन्वय एवं डीईआईसी मैनेजर के पद को मर्ज करते हुये परिवर्तित कर नवीन पदनाम जिला अर्ली इन्टरवेशन मैनेजर (DEIM) किया गया। अतः भुगतान की प्रक्रिया तत्कालीन आर.बी.एस.के कॉआर्डिनेटर श्रीमती रीता बहरानी जबलपुर के द्वारा न करते हुये श्री सुभाष शुक्ला द्वारा ही भुगतान की प्रक्रिया की जाना पाई गई। उक्त आधार पर श्री सुभाष शुक्ला द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 में दिया गया तथ्य मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत बिंदु अपील क्र 2:- वर्ष 2018-19 में तत्कालीन समिति द्वारा बजट अभाव के कारण उक्त फॉलोअप बिलों का भुगतान लंबित रखा गया था। फॉलोअप के उक्त लंबित बिलों का बजट वर्ष 2020 में राज्य स्तर से प्राप्त होने पर ही मेरे द्वारा संबंधित बिलों की पूर्व से ही स्वीकृत एवं परीक्षणित नस्तियों को भुगतान की प्रक्रिया हेतु अग्रेषित किया गया था।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा की गई जांच के जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जिला समन्वयक एवं डीईआईएमके का पद राज्य कार्यालय द्वारा मर्ज कर दिया गया है। डीईआईएमके आरबीएसके सुभाष शुक्ला के द्वारा दिव्या ई.एन.टी भोपाल संस्था से प्राप्त देयकों को भुगतान हेतु अपने हस्ताक्षर से नस्ति प्रस्तुत की गई। इनका उत्तरदायित्व था

कि देयक भुगतान हेतु नस्ति प्रस्तुत करने से पूर्व ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थैरेपिस्ट के माध्यम से हितग्राही बच्चों के फालोअप की पुष्टि की जानी थी किन्तु इनके द्वारा जिन बच्चों का उपचार हुआ ही नहीं उनके भुगतान संबंधी नस्ति का नियम विरूद्ध प्रस्तुतीकरण किया गया। बिलों के भुगतानों की प्रक्रिया हेतु इसका बजट वर्ष 2020 में राज्य कार्यालय द्वारा दिया गया फलस्वरूप बिलों की स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया का निष्पादन श्री सुभाष शुक्ला द्वारा किया जाना पाया गया। अतः उनका यह तथ्य वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में फालोअप बिलों का भुगतान तत्कालीन समय में लंबित रखा गया था समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 3:- चूंकि ऑडिट की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला लेखा प्रबंधक (DAM) के द्वारा सम्पन्न कराई जाती है। महालेखाकार ऑडिट द्वारा प्रकरणगत फॉलोअप के बिलों पर ली गई आपत्तियों के संबंध में तत्कालीन जिला लेखा प्रबंधक एवं तत्कालीन आर.बी. एस. के. कोऑर्डिनेटर द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लेख/टीप संबंधित बिलों एवं नस्तियों में नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट को भी संबंधित बिलों की फाईल में नस्ती नहीं किया गया।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- कथित आरोप के सम्बन्ध में समिति के द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि 2016 में की गई 8 काक्लियर इम्प्लांट उपरांत, प्रति ए.वी.टी. रुपये 1.30 लाख का गलत तरीके से भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि लाभार्थी से की गई व दिए गए प्रतिउत्तर अनुसार भुगतान हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया जिला लेखाकार प्रबंधक से पूर्व जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाती है। अतः बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 4:- ई-वित्त से भुगतान की अंतिम प्रक्रिया में जिला लेखा प्रबंधक द्वारा मेकर के तौर पर भुगतान हेतु बढ़ाया जाता है, फिर जिला कार्यक्रम प्रबंधक से वेरीफाई कराया जाता है और अंत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बायोमैट्रिक थम्ब लगवाकर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन जिला लेखा प्रबंधक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ऑडिट आपत्ति से अनभिज्ञ रखा गया। यदि किसी भी स्तर पर ऑडिट आपत्ति के संबंध में जानकारी दी जाती तो भुगतान ही नहीं हो पाता।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- डीईआईएम जबलपुर श्री सुभाष शुक्ला द्वारा यह तथ्य दिया गया है कि मेरे द्वारा जावक क्रमांक 168 दिनांक 20.08.2020 में नोटशीट प्रस्तुत की एवम एजी ऑडिट दल की आपत्ति वर्ष 2019 की है तथा प्रस्तुत दस्तावेजो में अविभावको के हस्ताक्षर में भिन्नता पूर्व की है किन्तु भुगतान की नस्ती का परीक्षण करने पर पाया गया है कि नस्ती का प्रचलन डीईआईएम जबलपुर श्री सुभाष शुक्ला द्वारा किया गया है। अतः परीक्षण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्री सुभाष शुक्ला की थी जिसका पालन नहीं किया गया। बिन्दु क्र 4 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 5:- कार्यालय महालेखाकार के रिपोर्ट पत्र ओ.ए.डी.2/नि.प्रति.क्र.96/जावक-499 दिनांक 25.10.2019 के पृष्ठ 4 (260) में यह भी उल्लेखित है कि उस अवधि में तात्कालीन अधिकारी द्वारा ऑडिट आपत्तियों का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हीं अधिकारियों के संज्ञान में ऑडिट आपत्तियां थी और उनके द्वारा ही उनका परीक्षण किया गया था।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 2019 में ली गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हितग्राहियों के काक्लियर इप्लांट पश्चात सम्बंधित संस्था द्वारा बिना

N Shau

AVT (आडियो विज्युअल थैरेपी) करवाये संस्था द्वारा प्रस्तुत देयकों को बिना परिक्षण किये भुगतान हेतु नस्ती अग्रेसित की गई, जबकि उक्त नस्ती में तत्कालीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण किये बिना भुगतान करवाया गया। एजी ऑडिट रिपोर्ट द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण में संदेह व्यक्त किया गया। उक्त प्रकरण में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी उसके पश्चात भी भुगतान हेतु फाइल अग्रेषित की गयी। बिन्दु क्र 5 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 6:- प्रार्थी को ऑडिट आपत्ति की जानकारी पहली बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./2024-25/12629 जबलपुर, दिनांक 06/01/2025 के माध्यम से ही प्राप्त हुई। अर्थात् वर्ष 2018-19 की ऑडिट आपत्ति की सूचना प्रार्थी को 6 वर्षों पश्चात दी गई।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 2019 में ली गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हितग्राहियों के काक्लियर इप्लांट पश्चात सम्बंधित संस्था द्वारा बिना। ए.वी.टी. (आडियो विज्युअल थैरेपी) करवाये संस्था द्वारा प्रस्तुत देयकों को बिना परिक्षण किये भुगतान हेतु नस्ती अग्रेसित की गई, जबकि उक्त नस्ती में तत्कालीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण किये बिना भुगतान करवाया गया।उक्त प्रकरण में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी उसके पश्चात भी भुगतान हेतु फाइल अग्रेषित की गयी। बिन्दु क्र 6 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अपील बिंदु क्र 7:- मेरे कार्यकाल (2020 के उपरांत) में उन फाइलों में ऑडिट आपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी, चेतावनी या ऑब्जेक्शन अंकित नहीं था। यदि मेरे संज्ञान में ऑडिट आपत्ति होती तो मेरे द्वारा फाईल को अग्रेषित ही नहीं किया जाता।

अपील में प्रस्तुत तथ्य का निराकरण:- महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 2019 में ली गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हितग्राहियों के काक्लियर इप्लांट पश्चात सम्बंधित संस्था द्वारा बिना। ए.वी.टी. (आडियो विज्युअल थैरेपी) करवाये संस्था द्वारा प्रस्तुत देयकों को बिना परिक्षण किये भुगतान हेतु नस्ती अग्रेसित की गई, जबकि उक्त नस्ती में तत्कालीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण किये बिना भुगतान करवाया गया। उक्त प्रकरण में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी उसके पश्चात भी भुगतान हेतु फाइल अग्रेषित की गयी। बिन्दु क्र 7 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक न होकर मान्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री सुभाष शुक्ला द्वारा बाल श्रवण योजना के अंतर्गत भुगतानों में की गई गंभीर अनियमितता के परिपेरक्ष्य में श्री सुभाष शुक्ला से 8.96 लाख (आठ लाख छियान्वे हजार रूपये) की वसूली पत्र क्रमांक/एनएचएम/आरबीएसके/2025/3160, भोपाल दिनांक 24/09/2025 को यथावत रखा गया एवं श्री सुभाष शुक्ला जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक जिला-जबलपुर द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 09/10/2025 को विचारोपरांत अमान्य किया गया।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा श्री सुभाष शुक्ला की अपील अमान्य करने के उपरांत कार्यालय के पत्र क्रमांक एनएचएम/आरबीएसके/2025/5189 दिनांक 23/12/2025 के द्वारा श्री सुभाष शुक्ला जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक जिला-जबलपुर को क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 8.96 लाख (आठ लाख छियानवे हजार रूपये) की राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय भोपाल के खाते में 07 दिवस के भीतर जमा करने एवं

उक्त राशि समयावधि में जमा न करने की स्थिति में इनके विरूद्ध मानव संसाधन मैनुअल 2025 की कंडिका क्रमांक 12.4 की उप कंडिका क्रमांक 3 एवं 18.10 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री सुभाष शुक्ला द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय भोपाल के खाते में जमा नहीं कराई गयी है। फलस्वरूप इनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत कार्य किये जाने का कृत्य किया गया जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है परिणामस्वरूप इन्होंने स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन मैनुअल 2025 की कंडिका क्रमांक 12.4 की उप कंडिका क्रमांक 3 एवं 18.10 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्यवाही का निर्णय लेते हुये श्री सुभाष शुक्ला का जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के पद पर किया गया संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by
SALONI SIDANA
Date: 20-01-2026
10:18:34

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम/आर.बी.एस.के/2026/166

भोपाल दिनांक: 20/01/2026

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश।
2. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जिला-जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. संचालक,वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ संयुक्त संचालक शिकायत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
7. उपसंचालक, लीगल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की ओर प्रकरण में केविएट की कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. उपसंचालक मानव संसाधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की ओर संबंधित की आईडी क्रमांक (NHM009365) के विलोपन की कार्यवाही हेतु।
10. जिला लेखा प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश।
11. संबंधित श्री सुभाष शुक्ला संविदा जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक जिला-जबलपुर (द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश)।

-SD-
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश, भोपाल

NSharma